

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | विभाग | राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद |
| 2. | योजना का नाम | छात्रवृत्ति योजना। |
| 3. | योजना संक्षिप्त टिप्पणी | किसानों के प्रतिभावान बच्चों को कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने तथा भविष्य में कृषि क्षेत्र में योगदान देने के उद्देश्य से मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समिति के माध्यम से चयन समिति द्वारा चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। |
| 4. | पात्रता की अर्हता | कृषि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय (1—सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, 2—चौ० शिवनाथ सिंह साण्डिलय पी०जी०कॉलिज, माछरा। 3—जनता वैदिक कॉलिज, बडौत एवं 4—अमर सिंह कालिज, लखावटी) में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम अंकों एवं उनके अभिभावक की आय रू० 50,000.00 तक होने वाले छात्रों का चयन किया जाता है। |
| 5. | आवेदन की प्रक्रिया | उपरोक्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र अपने कालिज में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। |
| 6. | लिंक वेबसाईट | http://upmandiparishad.upsdc.gov.in/ |
| 7. | सम्पर्क सूत्र | अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक मण्डी परिषद से सम्पर्क किया जा सकता है। |